मुख्य बातें

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ सरकार के प्रत्यक्ष करों से प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करते हैं। इस प्रतिवेदन में प्रत्यक्ष कर प्रशासन, लेखापरीक्षा अधिदेश और अनुपालन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा की गई है तथा इसमें अन्तरण मूल्य निर्धारण और बट्टे खाते में डाली गई कर मांग बकाया के निष्कर्ष भी शामिल है।

अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन

वित्तीय वर्ष 2014-15 में संघ सरकार की प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां ₹ 6,95,792 करोड़ थीं, जो जीडीपी के 5.5 *प्रतिशत* को दर्शाती है। सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2013-14 में 56.1 *प्रतिशत* से घटकर वित्तीय वर्ष 2014-15 में 55.9 *प्रतिशत* हो गया।

प्रत्यक्ष कर के दो प्रमुख संघटक अर्थात निगम कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 3.95 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 4.29 लाख करोड़ और आयकर वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 2.38 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 2.58 लाख करोड़ हो गया।

गैर कॉरपोरेट निर्धारितियों की संख्या वित्तीय वर्ष 2013-14 में 304.03 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2014-15 में 360.55 लाख हो गई, इसमें 18.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

कॉरपोरेट निर्धारितियों की संख्या वित्तीय वर्ष 2013-14 में 6.36 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2014-15 में 6.75 लाख हो गई इसमें 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

संवीक्षा निर्धारण के कुल 10.3 लाख मामलों में से विभाग ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में 5.4 लाख मामलों (47.8 *प्रतिशत*) का निपटान किया था जिसके परिणामस्वरूप लम्बन दर में कमी हुई है।

असंग्रहीत मांग वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 5.75 लाख करोड़ से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 7.00 लाख करोड़ हो गई। विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में 96 *प्रतिशत* से अधिक की असंग्रहीत मांग की वसूली मुश्किल है।

सीआईटी(अपील) के पास लम्बित अपीलें वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2.15 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2014-15 में 2.32 लाख हो गई। सीआईटी (अपील) में इन मामलों में अवरूद्ध राशि वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 3.84 लाख करोड़ थी। उच्चतर स्तरों (आईटीएटी/उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय) पर अवरूद्ध राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 1.8 लाख करोड़ (76,922 मामले) से वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 1.9 लाख करोड़ (77,448 मामले) बढ़कर हो गई है।

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव

आयकर विभाग ने उन यूनिटों में वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2.26 लाख संवीक्षा निर्धारण पूरे किए जिन्हें वित्तीय वर्ष 2014-15 की लेखापरीक्षा योजना के दौरान लेखापरीक्षित किया गया था, जिनमें से हमने 2.11 लाख मामलों की जांच की थी। लेखापरीक्षा में जांचे गए निर्धारणों में 0.16 लाख गलतियाँ थी जो औसतन 7.4 *प्रतिशत* थी।

आयकर विभाग ने हमारे द्वारा बताई गई निर्धारणों में त्रुटियों को सुधारने के लिए उठाई गई मांग से वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 127.67 करोड़ की वसूली की।

इस प्रतिवेदन में मंत्रालय को जारी 455 उच्च मूल्य और महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा की गई है। इनमें से मंत्रालय/आयकर विभाग ने 159 मामले (34.9 *प्रतिशत*) स्वीकार कर लिए। 16 मामलों में आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की। शेष मामलों में मंत्रालय/आयकर विभाग ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किए।

प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लम्बित उत्तरों के संचय के परिणामस्वरूप 50,005 मामले इक्ठ्ठा हो गए जिनमें 31 मार्च 2015 को ₹ 62,415.2 करोड़ का राजस्व प्रभाव शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 2,490.8 करोड़ के कर प्रभाव के 3,889 मामले उपचारी कार्रवाई हेतु समयबाधित हो गए थे।

अध्याय III: निगम कर

हमने निगम कर से संबंधित 312 उच्च मूल्य वाले मामले बताए जिनमें ₹ 2,459.00 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। हमने मामलों को चार व्यापक श्रेणियों नामत:निर्धारणों की गुणवत्ता, जिसमें ₹ 426.80 करोड़ (93 मामले) के कर प्रभाव शामिल थे, कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन, जिसमें ₹ 1,796.79 करोड़ (155 मामले) का कर प्रभाव शामिल था, चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय जिसमें ₹ 176.56 करोड़ (44 मामले) का कर प्रभाव शामिल था तथा कर/ब्याज का अतिप्रभार जिसमें ₹ 58.84 करोड़ (20 मामले) शामिल थे, में वर्गीकृत किया है।

अध्याय IV: आयकर और धनकर

हमने आयकर से संबंधित 137 उच्च मूल्य वाले मामले बताए जिनमें ₹ 286.29 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। हमने मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में नामत: निर्धारणों की गुणवत्ता जिसमें ₹ 165.18 करोड़ (54 मामले) शामिल थे, कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन जिसमें ₹ 93.18 करोड़ (49 मामले) का कर प्रभाव शामिल था, चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय जिसमें ₹ 16.93 करोड़ (27 मामले) का कर प्रभाव शामिल था तथा कर/ब्याज का अतिप्रभार जिसमें ₹ 11.0 करोड़ (सात मामले) शामिल थे, वर्गीकृत किया है। इसके अलावा, हमने धन कर से संबंधित ₹ 0.18 करोड़ के कर प्रभाव वाले छह मामलों के बारे में भी बताया है।

अध्याय V: अंतरण मूल्य निर्धारण

हमने 10 उच्च मूल्य मामलों के बारे में बताया है जिनमें अहमदाबाद, हैदराबाद और मुंबई के टीपीओज ने आर्म्स लेन्थ कीमत निकालने और उनके समायोजन में त्रुटियां की थी।

अध्याय VI: बट्टे खाते में डाले गए कर मांग के बकाया

हमने प्रधान सीआईटी, सीआईटी जिनकी नमूना लेखापरीक्षा जांच की थी, के सम्बन्ध में देखा कि बट्टे खाते में डालना के लंबन/निर्धारिती का पता नहीं लगना/कोई परिसंपति नहीं होना और अपर्याप्त संसाधनों के कारण वसूली हेतु दुष्कर मांग की प्रतिशतता में कर मांग के कुल बकाया के सम्बन्ध में पर्याप्त रूप से वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 34,962.26 करोड़ (12.59 *प्रतिशत*) के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 74,077.78 करोड़ (22.60 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। इसमें से केवल ₹ 2.21 करोड़ को बट्टे खाते में डाला गया था।

आयकर विभाग ने उन मामलों में नियमित प्रक्रिया का पालन करते हुए असंशोध्य बकाया मांग की घोषणा नहीं की जिनमे निर्धारिती का पता नहीं लगाया जा सका, कोई निधि/परिसंपत्ति नहीं थी या अपर्याप्त निधि/परिसंपत्ति थी तथा उस कर मांग के बकाया को बट्टे खाते में नहीं डाला जिसके लिए संबंधित कर वसूली अधिकारियों द्वारा असंशोध्य प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।

सीबीडीटी ने उन उच्च मूल्य के मामलों की माँनीटरिंग के लिए कोई तंत्र/प्रणाली विकसित नहीं की है जोकि काफी समय से लंबित हैं और जिन्हें बट्टे खाते में डालने की आवश्यकता हैं।